


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/12/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। कदमें प्रतिवादी गणों की तलबी हेतु PIF सम्मन पेश करने हेतु बार-बार समय दिया जाने के उपरान्त भी PIF सम्मन पेश नहीं किये हैं। आदेशिका दिनांक 16/9/19 एवं 30/10/19 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि आगामी तारीख पेशी पर PIF सम्मन पेश नहीं करने पर C.P.C के नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी, उसके उपरान्त भी PIF सम्मन पेश नहीं करने से वादी का वाद NON COMPLAANCE एवं अदम हाजरी एवं अदम पैवरी में खारीज किया जाता है। नियम सरेज्जलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कप्त हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली </p>

